रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1987/पौष 11, 1908
No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1987/PAUSA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1987

अधिसूचना

सं. 1 /87-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 3 (अ):— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना

आवश्यक है, वायु मार्ग द्वारा भारत में आयातित माल को, उतने सीमाशुल्क से छूट देती है जितना ऐसे माल के मूल्य के उस भाग के प्रति निर्देश से ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के बराबर है, जो——

(क) ऐसे माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से; या

(ख) जहां ऐसी भाड़ा लागत ऐसे माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम है वहां, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के ऐसे प्रतिशत से, जो वास्तव में उपगत किया जाता है,

अधिक भाड़ा लागत को सम्मिलित करते हुए संगणित की जाए ।

[फा. सं. 512/17/84-सी.शु.-6]

एस. के. सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st January, 1987

NOTIFICATION

No. 1|87-CUSTOMS

G.S.R. 3 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, thereby exempts the goods imported into India by air from so much of the duty of customs as is equivalent to the duty of customs leviable on such goods with reference to that part of the value of such goods which is calculated by including the cost of freight in excess of :—

(a) fifteen per cent of the f.o.b. value of such goods; or

(b) where such cost of freight is less than fifteen per cent of the f.o.b. value of such goods, such percentage of the f.o.b. value as is actually incurred.

[F. No. 512|17|84-CUS.VI]

S. K. SINHA, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987